रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

SECRETARIAT LIBRARY GOVT OF INDIA

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 471] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 4, 1977/कार्तिक 13, 1899

No. 471] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 4, 1977/KARTIKA 13, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November 1977

S.O. 751(E).—In exercise of the powers conferred by section 114, read with sub-section (6) of section 27, of the Gold (Control) Act, 1968 (45 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Gold Control (Licensing of Dealers) Rules, 1969, namely:—

1 (1) These rules may be called the Gold Control (Licensing of Dealers) Amendment Rules, 1977

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2 In rule 2 of the Gold Control (Licensing of Dealers) Rules, 1969, in clause (f),—

(1) in the proviso—

(i) In clause (c)—

(a) in item (i), for the words "one lakh rupees", the words "ten thousand rupees" shall be substituted;

(b) in item (ii), for the words "one thousand grammes", the words "one hundred grammes" shall be substituted,

(ii) after clause (d), the following clauses shall be inserted, namely:—

"(e) a person who was a partner for a period of not less than five years in any firm licensed under these rules to deal in gold, if such application is made within a period of sixty days of his leaving the said firm, for the issue of a licence to be a dealer in the same city or town or district, as the case may be, in which the said firm was licensed,

(f) a person who was employed in the shop of a licensed dealer (hereinafter referred to as the said dealer) and who is found by the Administrator, after making such inquiry as he may consider necessary, to posses experience in dealing in, or making, manufacturing, preparing or repairing of, ornaments for a period of not less than five years, if such application is made within a period of sixty days of his leaving such employment, for the issue of a licence to be a dealer in the same city or town or district, as the case may be, in which the said dealer was licensed",

(2) in Explanation II, for the worlds "five thousand grammes", the words "two thousand grammes" shall be substituted.

[No. 5/77-F No 132/34/77-GC. II]

M. A. RANGASWAMY, Addl. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 1977

का० आ० 751(अ).—केन्द्रीय सरकार, स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 (1968 का 45) की धारा 27 की उपधारा (6) के साथ पठित धारा 114 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वर्ण नियंत्रण (व्यवहारियों का अनुज्ञापन) नियम, 1969 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम स्वर्ण नियंत्रण (व्यवहारियों का अनुज्ञापन) संशोधन नियम, 1977 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2 स्वर्ण नियंत्रण (व्यवहारियों का अनुज्ञापन) नियम, 1969 के नियम 2 के खण्ड (च) में,—

(1) परन्तुक में—

(i) खण्ड (ग) में—

(क) मद (i) में "एक लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर "दस हजार रुपए" शब्द रखे जायेंगे;

(ख) मद (ii) में "एक हजार ग्राम" शब्दों के स्थान पर "एक सौ ग्राम" शब्द रखे जायेंगे;

(ii) खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ङ) इन नियमों के अधीन स्वर्ण का कारबार करने के लिए अनुज्ञप्त किसी फर्म में कम से कम पांच वर्ष भागीदार रह चुका व्यक्ति, यदि उक्त फर्म छोड़ने के साठ दिन के भीतर, उसी शहर, नगर या जिले में, जिसमें उक्त फर्म अनुज्ञप्त थी, व्यवहारी होने के लिए अनुज्ञप्ति जारी किए जाने के लिए आवेदन करता है,

(च) व्यक्ति, जो अनुज्ञप्त व्यवहारी (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त व्यवहारी कहा गया है) की दूकान में नियोजित था और जिसके बारे में प्रशासक को, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह आवश्यक समझता है, यह ज्ञात हो जाता है कि उसे आभूषण बनाने, विनिर्मित करने, तैयार करने या उनकी मरम्मत करने का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव है, यदि ऐसा नियोजन छोड़ने के साठ दिन के भीतर, उसी शहर, नगर या जिले में, जिसमें उक्त व्यवहारी अनुज्ञप्त था, व्यवहारी होने के लिए अनुज्ञप्ति जारी किए जाने के लिए आवेदन करता है।"

(2) स्पष्टीकरण 2 में "पांच हजार ग्राम" शब्दों के स्थान पर "दो हजार ग्राम" शब्द रखे जाएंगे।

[सं० 5/77-फा० सं० 132/34/77—स्व० नि०-II]

एम० ए० रंगास्वामी, अतिरिक्त सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977